(अनवान गुरदर्शन सिंह बनाम महेन्द्र सिंह
राजस्व वाद संख्या :– 253 / 2024)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 253 / 2024

गुरदर्शन सिंह पुत्र श्री हरबन्स सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

—वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरबन्स सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. नवजोत सिंह पुत्र श्री गुरा सिंह उर्फ गुरदित सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. हरी राम पुत्र श्री उदा राम जाति महाजन निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. गिरधारी लाल पुत्र श्री रामगोपाल जाति महाजन निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री संजय जनवेजा	वादी
2.	श्री प्रतिवादी संख्या 1 व 2	स्वयं उपस्थित
3.	पैरोकार राज श्रीगंगानगर	प्रतिवादी संख्या 5

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.10.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खा[illegible]क 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता [illegible] 31 व 32 की कुल 1.290 हैक्टेयर नहरी मय गै० [illegible] कागजात माल है। जो कि संयुक्त खाता की भूमि है। [illegible] का हिस्सा 2/215, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 763/1290, प्रतिवादी [illegible] 2 का हिस्सा 3/430, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 253/1290 व प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

253 / 1290 है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। वादी एवं प्रतिवादीगण का रकबा संयुक्त खातेदारी होने के कारण काश्त में कई व्यावहारिक दिक्कते आती थी तथा लगान व आबियाना आदि अदा करने, सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व ऋण आदि प्राप्त करने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इस कारण वादी एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहुलियत, अच्छी आबपाशी अनुसार, हक व हिस्सा अनुसार, उपजाउ व कम उपजाउ किस्म के अनुसार आज से काफी समय पूर्व अपनी कृषि भूमि का निम्न प्रकार से मौखिक घरेलू बंटवारा कर लिया था:–

(1). **वादी गुरदर्शन सिंह का हिस्सा:–**
चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 34 / 16 का मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 22 / 2 (0.013) कुल 0.013 है0 कृषि भूमि।

(2). **प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह का हिस्सा:–**
चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 34 / 16 का मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 17(0.253), 24 (0.253), 25 / 1(0.235), 25 / 2(0.018 है० गै० मु० सस्य), 23 / 1 में से 0.004 है० किला नम्बर 24 से चिपता हुआ भाग कुल 0.763 है0 कृषि भूमि।

(3) **प्रतिवादी संख्या 2 नवजोत सिंह का हिस्सा:–**
चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 34 / 16 का मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 23 / 1 (0.008) कुल 0.008 है० कृषि भूमि ।

(4). **प्रतिवादी संख्या 3 हरी राम व प्रतिवादी संख्या 4 गिरधारी लाल का हिस्सा:–**
चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 34 / 16 का मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 20(0.253 है० गै० मु० ढाणी) कुल 0.253 है० गै० मु० ढाणी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 32 का किला नम्बर 16 / 1(0.235 है० गै० मु० ढाणी), 16 / 2 (0.018 है0 गै० मु० रास्ता) कुल 0.253 है० गै० मु० ढाणी मय गै० मु० रास्ता भूमि।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण पिछले काफी समय से घरू बंटवारानामा अनुसार अपने अपने रकबा पर काबिज चले आ रहें हैं तथा मौका पर घरू बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की फसले खड़ी हैं। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को सहमति से बंटवारा करके घरू बंटवारानामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के लिए कहा। पहले तो वह टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.11.2024 को प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा मानने से इन्कार कर दिया और वादी को सहमति से कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा कर देने से साफ इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। वादग्रस्त भूमि चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर [illegible] वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

(1) यह कि वादी को चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 34 / 16 का मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 22 / 2 ([illegible]) कुल 0.013 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी [illegible] नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(2). खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने घरू कार्य में व्यस्त होने के कारण शहर आने से इन्कार किया था। **काउन्टर क्लेम–** वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम से वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अनुसार भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है, जिसका घरू विभाजन वाद पत्र की मद संख्या 3 की उपमद संख्या 1, 2, 3 के अनुसार किया हुआ है, प्रतिवादीगण भी वाद पत्र की उपमद संख्या 1, 2 व 3 के अनुसार अपने हिस्सा भूमि का बंटवारा करवा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी हैं। वादी व प्रतिवादीगण उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि पर अर्सा दराज से काबिल चले आ रहें है तथा मौका पर वादी एवं प्रतिवादीगण की फसले खड़ी हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कई बार खाता अलग करने के लिए कहा मगर वादी टाल मटोल करता रहा, अब उसके द्वारा यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। जिससे प्रतिवादीगण को यह काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का वाद कारण प्राप्त हुआ । प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम के अनुसार अपने रकबा का बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी हैं। काउन्टर क्लेम माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर तथा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण को वाद पत्र की मद संख्या 3 के अनुसार में वर्णित अनुसार खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर अलग–अलग खाता कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी एवं काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि वादी द्वारा प्रकरण खाता विभाजन का प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा अनुसार विभाजन करवाना चाहते हैं। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का तहसीलदार श्रीगंगानगर से जमाबन्दी अनुसार प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 चक 7 जैड़, पटवार हल्का 9 जैड, भू.अ.नि.क्षेत्र. रामनगर, खाता संख्या 34 / 16 के अवलोकन पश्चात् वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी होने एवम् वादी एवं काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी साबित होने से वाद वादी एवं काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर [illegible] दिनांक 30.07. 2025 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील [illegible]ंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा तहसीलदार [illegible] अनापत्ति जाहिर करते हुए मुताबिक तहसीलदार [illegible]डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

|| आदेश ||

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं काउंटक्लेम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	महेन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जट सिख जमाबंदी में दर्ज हिस्सा 0.763 हैक्टर मय गैर मुमकिन खाला	चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं.32 के किला नम्बर 17(0.253हैक. नहरी), 24(0.253 हैक. नहरी),25/1(0.235 हैक. नहरी), 25/2(0.018 हैक. गैर मुमकिन रास्ता), 23/1(0.004 हैक. नहरी किला नम्बर 24 से चिपता दक्षिण में) कुल 0.763 हैक्टर नहरी मय गै.मु. रास्ता
2	गुरदर्शन सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जट सिख जमाबंदी में दर्ज हिस्सा 0.012 हैक्टर	चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 32 के किला नम्बर 22/2(0.012 हैक्टर नहरी दक्षिण में) कुल 0.012 हैक्टर
3	नवजोत सिंह पुत्र गुरासिंह उर्फ गुरदित सिंह जाति जट सिख जमाबंदी में दर्ज हिस्सा 0.009 हैक्टर	चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 32 के किला नम्बर 23/1(0.009 हैक्टर नहरी दक्षिण में) कुल 0.009 हैक्टर

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.10.2025 में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner